

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी दक्षिण (सामान्य) वनमण्डल बैतूल, (म.प्र.)

पता - कालेज रोड, गांधीनगर वार्ड, बैतूल, जिला बैतूल (म.प्र.) पिन : 460001

E-Mail : dfotsbetul@mp.gov.in

Ph. & Fax No. 07141-234266

बैतूल, दिनांक 3 / 11 / 2025

क्रमांक/मा.चि. / 1866

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(मू-प्रबंध)
वन भवन, भोपाल (म.प्र.)

विषय :- बैतूल जिले के अंतर्गत मेंढा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 20.14 हेक्टेयर वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत।

- संदर्भ :- 1. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्र. 6-REC10/2014-BHO/Part-III/262, दिनांक 07.10.2023
2. आपका पत्र क्र./एफ-3/17/2019/10-11/2/4811 दिनांक 27.10.2023
3. वनमंडलाधिकारी उत्तर बैतूल (सा.) का पत्र क्र./मा.चि./2024/957 दिनांक 16.02.2024
4. कार्य आयोजना अधिकारी बैतूल का पत्र क्र./मा.चि./2025/698 दिनांक 16.10.2025 एवं 717 दिनांक 24.10.2025 तथा ई-मेल दिनांक 03.11.2025

- 0 -

विषयान्तर्गत निवेदन है कि आपके संदर्भित पत्र के माध्यम से आर.ई.सी. की बैठक दिनांक 27.09.2023 के तारतम्य में प्रकरण संबंधी अतिरिक्त 02 बिन्दुओं की चाही गई जानकारी निम्नानुसार है :-

1. The DFO shall revisit the proposed diversion area and verify whether the User Agency has carried out any work on forest area or whether the forest boundary of KML is shifted. If the forest boundary of KML is shifted then correct KML file to be submitted accordingly.

टीप :- प्रकरण में प्रश्नाधीन वनखण्ड-49 (सीमांकित संरक्षित वनकक्ष क्र. P-1101) की KML फाईल त्रुटिपूर्ण होने के कारण कार्यालय वनसंरक्षक कार्य आयोजना इकाई बैतूल द्वारा उनके संदर्भित पत्रों से सुधारित मानचित्र की हार्ड कॉपी कलर प्रिंट एवं साफ्ट कॉपी में उपलब्ध कराई गई KML फाईल कार्यालयीन ई-मेल दिनांक 03.11.2025 एवं पेन ड्राईव के माध्यम से संलग्न प्रेषित है।

2. A transmission line passing through CA area, the concerned DFO shall verify whether the said transmission line has valid FC approval.

टीप :- विषयांकित प्रकरण में दक्षिण बैतूल (सा.) वनमंडल के अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु आवेदित क्षेत्र के विरुद्ध वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उत्तर बैतूल (सा.) वनमंडल के अंतर्गत ग्राम-चापड़ा रैयत, तहसील-शाहपुर के खसरा क्र.-17/1 कुल रकबा-54.40 हे., मद-छोटे झाड़ का जंगल में से 9.28 हे. एवं खसरा क्र.-17/2 रकबा-35.00 हे. इस प्रकार कुल 44.28 हे. भूमि कलेक्टर बैतूल के आदेश क्रमांक/0055/अ-20(3)/2021-22 दिनांक 15.12.2021 से वन विभाग म.प्र. शासन को हस्तांतरित की गई है।

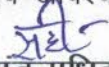
प्रस्तावित भूमि के उपर से गुजरने वाली ट्रांसमिशन लाईन 400 के.वी. सारनी-इंदौर (व्हाया इटारसी) है, जिसमें उत्तर बैतूल (सा.) वनमंडल का आवेदित 19.178 हे. रकबा प्रभावित होता है, जिसकी भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्रमांक/8-94/85-एफ.सी. दिनांक 29 अप्रैल 1986 से औपचारिक अनुमति प्रदान की गई है। जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(एल.के.वासनिक)
भा.व.से.

वनमंडलाधिकारी,
दक्षिण बैतूल (सा.) वनमंडल

1. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (सूचना प्रौद्योगिकी) भोपाल की ओर कार्यालयीन पृ.क्र./मा.चि./1824 दिनांक 23.10.2025 के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।
2. वनसंरक्षक, वन वृत्त बैतूल म.प्र. की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. कार्य आयोजना अधिकारी बैतूल की ओर आपके संदर्भित पत्रों के तारतम्य में सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. वनमंडलाधिकारी उत्तर बैतूल (सा.) वनमंडल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. कार्यपालन यंत्री, जल-संसाधन क्रमांक-2 जिला-बैतूल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


वनमंडलाधिकारी,
दक्षिण बैतूल (सा.) वनमंडल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष-भू प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

सी-ब्लॉक, द्वितीय तल, लिंक रोड नं.-2, तुलसी नगर, भोपाल-462003

क्रमांक/एफ-3/17/2019/10-11/2/4811

भोपाल, दिनांक 27-10-23

प्रति,

वनमंडलाधिकारी,
सामान्य वनमंडल दक्षिण बैतूल,
मध्यप्रदेश।

विषय:-बैतूल जिले के अन्तर्गत मेढ़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 20.14 हेक्टेयर वन भूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत। ।

संदर्भ:-भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्र. 6-REC10/2014-BHO/Part-III/262, दिनांक 07.10.2023

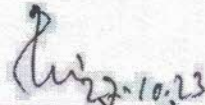
—00—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र (छायाप्रति संलग्न है) का अवलोकन करें। आर.ई.सी. की बैठक दिनांक 27.09.2023 के तारतम्य में प्रकरण में अतिरिक्त बिन्दुओं की जानकारी निम्नानुसार चाही गई है :-

1. The DFO shall revisit the proposed diversion area and verify whether the User Agency has carried out any work on forest area or whether the forest boundary of KML is shifted. If the forest boundary of KML is shifted then correct KML file to be submitted / uploaded accordingly.
2. A transmission line passing through CA area, the concerned DFO shall verify whether the said transmission line has valid FC approval.

अतः भारत सरकार द्वारा चाहे अनुसार जानकारीयां वेबपोर्टल पर अपलोड करते हुए हार्डकापी मे इस कार्यालय को 02 प्रतियों मे प्रस्तुत करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

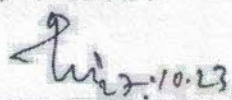

(एच.एस.मोहन्ता)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक/एफ-3/17/2019/10-11/2/4812
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 27-10-23

1. मुख्य वन संरक्षक, बैतूल वृत्त बैतूल, मध्यप्रदेश।
2. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन सभाग क्रमांक-2, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय वनमंडलाधिकारी दक्षिण बैतूल (सा.)

स. मा.चि. 6550 बैतूल दिनांक 23-10-2024

प्रतिक्रिया:- व.र.अ. उत्तर बैतूल (सा.) वनमंडल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित।


वनमंडलाधिकारी
दक्षिण बैतूल (सा.)



कार्यालय:- वन संरक्षक, कार्य आयोजना इकाई, बैतूल
जिला-बैतूल (म.प्र.)

आकाशवाणी के सामने, जे. एच. कालेज रोड बैतूल

Email- wpo.btl@mp.gov.in

Phone No. 07141-233162

क्रमांक/मा.चि./2025/698
प्रति,

बैतूल, दिनांक 16/10/2025

मा.चि.
वनमण्डलाधिकारी
दक्षिण बैतूल (मा.)
17-10-25

- वनमण्डलाधिकारी,
दक्षिण बैतूल (सा0) वनमण्डल,
जिला-बैतूल (म0प्र0)
- विषय:- दक्षिण बैतूल वनमण्डल में धारा 4 में अधिसूचित वनखण्ड-49 का सही मानचित्र बाबत।
संदर्भ:- 1/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना एवं वन भू-अभिलेख) वन भवन म0प्र0, भोपाल का पत्र क्रमांक/तकनीकी/1120, भोपाल दिनांक 04.06.2025
2/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्य आयोजना, (आंचलिक) कोलार तिराहा भोपाल का पत्र क्रमांक/व.त.अ./2025/317, दिनांक 08.07.2025
3/आपका पत्र क्रमांक/मा.चि./2025/761, दिनांक 08.10.2025
4/इस कार्यलय का पत्र क्रमांक/मा.चि./2025/470, दिनांक 29.07.2025

—000—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों के संदर्भ में लेख है कि आपके संदर्भित पत्र क्रमांक/मा.चि./2025/761, दिनांक 08.10.2025 के द्वारा दक्षिण बैतूल वनमण्डल में धारा 4 में अधिसूचित वनखण्ड-49 के मानचित्र में पुनः त्रुटि सुधार कर संशोधित मानचित्र उपलब्ध कराने हेतु लेख किया गया है, तदनुसार इस वनखण्ड की एवं कक्ष (पी-1101) की सीमा को मूल वनखण्ड मानचित्र अनुसार ताप्ती नदी से लगा हुआ संशोधित मानचित्र कराये जाने का अनुमोदन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना एवं वन भू-अभिलेख) वन भवन म0प्र0, भोपाल के संदर्भित पत्र द्वारा किया गया है, तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्य आयोजना, (आंचलिक) भोपाल के संदर्भित पत्र द्वारा दिये गये निर्देशानुसार प्रधान मुख्य वन संरक्षक, शाखा-सूचना प्रौद्योगिकी वन भवन भोपाल कार्यालय से पुनः संशोधित मानचित्र प्राप्त किया गया है, जिसका कलर प्रिंट कार्यालय द्वारा तैयार किया गया है।

अतः विषयांकित अंतर्गत आपके संदर्भित पत्र अनुसार पुनः संशोधित मानचित्र (टोपोशिट क्रमांक-55/जी/13/ए-3) की सत्यापित दो प्रतियां मूलतः (हार्ड कापी कलर प्रिंट सहित) आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार। (संशोधित मानचित्र दो प्रति में)

Bary

(बासु कन्नौजिया)

कार्य आयोजना अधिकारी

बैतूल

पृ0 क्रमांक/मा.चि./2025/

बैतूल, दिनांक /10/2025

प्रतिलिपि:-

1-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (कार्य आयोजना एवं वन भू-अभिलेख) वन भवन म0प्र0, भोपाल की ओर विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों के संदर्भ में सूचनार्थ सादर प्रेषित।

2-अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्य आयोजना, (आंचलिक) कोलार तिराहा, भोपाल म0प्र0 की ओर विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों के संदर्भ में पुनः संशोधित मानचित्र (हार्ड कापी कलर प्रिंट सहित) की एक प्रति पत्र के साथ संलग्न कर सादर प्रेषित है। संलग्न:-संशोधित मानचित्र की एक प्रति।

3-वन संरक्षक, वनवृत्त बैतूल जिला-बैतूल म0प्र0 की ओर विषयांतर्गत सूचनार्थ प्रेषित।

सही

(बासु कन्नौजिया)

कार्य आयोजना अधिकारी

बैतूल

16/10/25



कार्यालय:- वन संरक्षक कार्य आयोजना इकाई, बैतूल
जिला-बैतूल (म.प्र.)

आकाशवाणी के सामने, जे. एच. कालेज रोड बैतूल

Email- wpo.btl@mp.gov.in

Phone No. 07141-233162

क्रमांक/मा.चि./2025/ 717

बैतूल, दिनांक 24/10/2025

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी,
दक्षिण बैतूल (सा0) वनमण्डल,
जिला-बैतूल (म0प्र0)

- विषय:- दक्षिण बैतूल वनमण्डल में धारा 4 में अधिसूचित वनखण्ड-49 का सही मानचित्र बाबत।
संदर्भ:- 1/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना एवं वन भू-अभिलेख) वन भवन म0प्र0, भोपाल का पत्र क्रमांक/तकनीकी/1120, भोपाल दिनांक 04.06.2025.
2/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्य आयोजना, (आंचलिक) कोलार तिराहा भोपाल का पत्र क्रमांक/व.त.अ./2025/317, दिनांक 08.07.2025
3/आपका पत्र क्रमांक/मा.चि./2025/1823, दिनांक 23.10.2025
4/इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/मा.चि./2025/698, दिनांक 16.10.2025

000

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों के संदर्भ में लेख है कि आपके संदर्भित पत्र क्रमांक/मा.चि./2025/1823, दिनांक 23.10.2025 के द्वारा दक्षिण बैतूल वनमण्डल में धारा 4 में अधिसूचित वनखण्ड-49 के संशोधित मानचित्र की KML File उपलब्ध कराने हेतु लेख किया गया है, तदनुसार इस वनखण्ड की एवं कक्ष (पी-1104) की सीमा को मूल वनखण्ड मानचित्र अनुसार ताप्ती नदी से लगा हुआ संशोधित मानचित्र कराये जाने का अनुमोदन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना एवं वन भू-अभिलेख) वन भवन म0प्र0, भोपाल के संदर्भित पत्र द्वारा किया गया है, तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्य आयोजना, (आंचलिक) भोपाल के संदर्भित पत्र द्वारा दिये गये निर्देशानुसार प्रधान मुख्य वन संरक्षक, शाखा-सूचना प्रौद्योगिकी वन भवन भोपाल कार्यालय से उपरोक्तानुसार संशोधित मानचित्र एवं KML File प्राप्त किया गया है।

अतः विषयांकित अंतर्गत आपके संदर्भित पत्रानुसार पुनः संशोधित मानचित्र (टोपोगिट क्रमांक-55/जी/13/ए-3) की KML File आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

Basu

(बासु कन्नौजिया)
कार्य आयोजना अधिकारी
बैतूल

पृ0 क्रमांक/मा.चि./2025/ 718
प्रतिलिपि:-

बैतूल, दिनांक 24/10/2025

1-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (कार्य आयोजना एवं वन भू-अभिलेख) वन भवन म0प्र0, भोपाल की ओर विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों के संदर्भ में सूचनार्थ सादर प्रेषित।

2-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (सूचना प्रौद्योगिकी) वन भवन भोपाल की ओर विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों के संदर्भ में सूचनार्थ सादर प्रेषित।

3-अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्य आयोजना, (आंचलिक) कोलार तिराहा, भोपाल म0प्र0 की ओर विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों के संदर्भ में सूचनार्थ सादर प्रेषित।

4-वन संरक्षक, वनवृत्त बैतूल जिला-बैतूल म0प्र0 की ओर विषयांतर्गत सूचनार्थ प्रेषित।

Basu
कार्य आयोजना अधिकारी
बैतूल

24/10/25

कार्यालय वनमंडलाधिकारी उत्तर बैतूल (सा0) वनमंडल

07141-234204 (कार्यालय), E-Mail - dfotnbtul@mp.gov.in

क्रमांक/सा0चि0/2024/ 957

बैतूल, दिनांक/16/02/2024

प्रति,

वनमंडलाधिकारी,
दक्षिण बैतूल (सा.) वनमंडल

विषय :- बैतूल जिले के अंतर्गत मेढा मध्यम परियोजना के निर्माण हेतु 20.140 हे. वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत। (प्रकरण क्र. / FP/MP/IRRIG/37074/2018)

संदर्भ :- आपका पृ. पत्र क्रमांक/ साचि./1511 दिनांक 31.10.2023

--00--

विषयांतर्गत आपके संदर्भित पत्र द्वारा विषयांकित प्रकरण में क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक के बिंदु क्रमांक - 2 की चाही गई जानकारी निम्नानुसार है:-

REC की अनुशंसा का बिंदु क्रमांक - 2	वनमंडल की टीप
1	2
A transmission line passing through CA area, the concerned DFO shall verify whether the said transmission line has valid FC approval.	विषयांकित प्रकरण में आवेदित क्षेत्र के विरुद्ध ग्राम चापड़ा रैयत तहसील शाहपुर के खसरा क्रमांक - 17/1 कुल रकबा - 54.40 हे. छोटे झाड़ के जंगल में से 9.28 हे. एवं खसरा क्रमांक - 17/2 का रकबा - 35.00 हे. इस प्रकार कुल 44.28 हे. भूमि कलेक्टर बैतूल के आदेश क्रमांक /0055/अ-20 (3) / 2021-22 दिनांक 15.12.2021 से वन विभाग म.प्र. शासन को हस्तांतरित की गई है। प्रस्तावित भूमि के उपर से गुजरने वाली ट्रांसमिशन लाईन 400 के.व्ही. सारनी - इंदौर (व्हाया इटारसी) है, जिसमें उत्तर बैतूल (सा.) वनमंडल का आवेदित 19.178 हे. रकबा प्रभावित होता है, जिसकी भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्रमांक/ 8-94/85 - एफ सी. दिनांक 29 अप्रैल 1986 से औपचारिक अनुमति प्रदान की गई है।

प्रतिवेदन सूचनार्थ प्रेषित।

वनमंडलाधिकारी

उत्तर बैतूल (सा0) वनमंडल

बैतूल, दिनांक/16/02/2024

पृ.क्र./सा0चि0/2024/ 958

प्रतिलिपि :-

- मुख्य वन संरक्षक बैतूल वृत्त बैतूल की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
- कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक - 2 बैतूल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

वनमंडलाधिकारी

उत्तर बैतूल (सा0) वनमंडल

(287)

No.8-94/85-FC
Government of India
Deptt. of Environment, Forests & Wildlife
Krishi Bhawan

New Delhi, dated the 7th April, 1986.

The Secretary
Government of Madhya Pradesh
Forest Department
Bhopal.

10 23/12/10/85/16
6/5/86

Sub: Diversion of 70.301 ha. of forest land for laying of 400 KV Indore-Sarni Transmission Line.

Sir,

I am directed to refer to your letter No.5/15/85/10/3 dated 6th March, 1985 seeking approval of Central Government under Forest (Conservation) Act, 1980 for diversion of forest land to non-forest use referred in the subject.

2. The proposal of the State Government has been examined by the Advisory Committee constituted under Section 2 of the Forest (Conservation) Act, 1980. On the basis of the proposal of the State Government and recommendations of the said Advisory Committee, approval of Central Government is hereby conveyed under Section 2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 for diversion of forest land for the purpose subject to following conditions;

- (1) Only temporary use of forest land would be permitted laying the proposed transmission line and the legal status of the land will remain unchanged.
- (ii) The maximum width of right-of-way for the transmission line on the forest land shall be 52 M.
- (iii) Clearance of tree growth existing within the right-of-way would be permitted over 3 M wide strips, below each conductor, for taking the tension stringing equipment. The trees on such strips would have to be felled but after the stringing work is complete, dwarf trees would be planted keeping in view the electric clearance to be maintained, except in one outer strip which shall be left clear to permit maintenance of the transmission line. In the remaining width within the right of way, trees will not be felled but to prevent electrical hazards they may be lopped, to the extent required, to maintain minimum clearance of 5.5 M from the conductors.

2/11/56
(iv) In the case of transmission lines to be constructed in hilly areas, where adequate clearance is already available trees will not be cut.

(v) Forest Department shall plant trees 10 times No. of trees to be felled at the cost of project authorities.

Yours faithfully,

M. B. Lal 25/11/56
(M. B. LAL)

Asstt. Inspector General of Forests.